

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 12 जनवरी 2021 — पौष 22, शक 1942

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 2 जनवरी 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-10/खाद्य/2017/29-1.— छत्तीसगढ़ विधिक मापविज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र) नियम, 2018 का निम्नलिखित संशोधन प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का सं. 1) की धारा 53 सहपठित धारा 24 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 53 की उप-धारा (4) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, ब्लॉक-बी, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ (कक्ष क्र. 11/03/03) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. शब्द “भारत सरकार” तथा “केन्द्रीय सरकार” जहाँ कहीं भी आये हों के स्थान पर, शब्द “राज्य सरकार” प्रतिस्थापित किया जाये।
2. शब्द “संयुक्त सचिव, उपभोक्ता कार्य विभाग, भारत सरकार” तथा संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार” जहाँ कहीं भी आये हों के स्थान पर, शब्द “राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी” प्रतिस्थापित किया जाये।
3. शब्द “निदेशक, विधिक मापविज्ञान” जहाँ कहीं भी आये हों के स्थान पर, शब्द “नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान” प्रतिस्थापित किया जाये।
4. अनुसूची चार के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

चतुर्थ अनुसूची
(नियम 13 एवं 14 देखिये)

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का प्रमाण-पत्र
छत्तीसगढ़ शासन

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग
विधिक मापविज्ञान प्रभाग

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का अनुमोदन प्रमाण-पत्र
(विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 24 के अधीन)

सं. डब्ल्यू एम.....(1)/ रायपुर, दिनांक

सत्यापित किया जाता है कि मैसर्स/.....

.....(सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का नाम तथा पता) को निम्नलिखित बाट तथा माप, उनकी श्रेणी (रेंज) सहित, के सत्यापन हेतु.....(स्थान/जिले का नाम) के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के रूप में अनुमोदित कर दिया गया है:

(एक).....

(दो).....

(तीन).....

प्रमाण पत्र सं.: राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र/.....(राज्य कोड के दो अंक)/ /.....

..... तक विधिमान्य

नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान

प्रतिलिपि :-

निदेशक, विधिक मापविज्ञान

.....सरकार को

सूचना के लिये।

टीप:- उपभोक्ता शिकायत के मामले में कृपया से संपर्क करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 2nd January 2021

NOTIFICATION

No. F 1-10/Food/2017/29-1.— The following draft of amendment in the Chhattisgarh Legal Metrology (Government Approved Test Centre), Rules, 2018 which the State Government in exercise of the powers conferred by Section 53 read with sub-section (3) of the Section 24 of the Legal Metrology Act, 2009 (No. 1 of 2010), proposes to make, is hereby, published as required by sub0 section (4) of Section 53 of the said Act, for the information of all person likely to be affected thereby and notice is hereby given t6hat the said draft shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period, in office hours in office of the Controller, Legal Metrology, Block-B, Third Floor, Indrawati Bhawan, Nava Raipur Atal Nagar, Chhattisgarh (Room No- 11/3/03) shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

1. For the words " Government of India" and "Central Government", wherever they occur, the words "State Government" shall be substituted.
2. For the words "Joint Secretary, Department of Consumer Affairs, Government of India", wherever They occur, the words "Competent Officer of the State Government" shall be substituted.
3. For the words "Director, Legal Metrology", wherever they occur, the words "Controller, Legal Metrology" shall be substituted.
4. For FOURTH SCHEDULE, the following shall be substituted, namely:-

" FOURTH SCHEDULE
(See rule 13 and 14)

CERTIFICATE OF GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE
GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS
LEGAL METROLOGY DIVISION

CERTIFICATE OF APPROVAL OF GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE

[Under Section 24 of the Legal Metrology Act, 2009]

No.WM------(1)/ Dated, Raipur-----
CERTIFY THAT M/s-----
----- (name and address of
Government Approved Test Centre) has been approved as Government Approved Test
Centre for -----(name of place/district) for the verification of
following weights and measures with their ranges:
(i)-----
(ii)-----
(iii)-----
Certificate No : STATE GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE/------(two
digits of the State Code)/ /-----
Valid up to :-----

Controller of Legal Metrology

Copy to,-

The Director of Legal Metrology,
Government of -----
for kind information.

Note: In case of consumer complaint please contact-----"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.